

बिहार सरकार, कृषि विभाग ।

पत्र संख्या— रा०कृ०विंयो०को०-०३ / २०१४— ५१३६ / कृ०, पटना, दिनांक २०-११-२०१४
प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)–सह–
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)
से परामर्शित।

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अंठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 82.92 लाख रुपये (बेरासी लाख बेरानवे हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत ।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अंठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 82.92 लाख रुपये (बेरासी लाख बेरानवे हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 9800.00 लाख रुपये (अंठानवे करोड़ रुपये) के विरुद्ध तत्काल 8292.00 लाख रुपये (बेरासी करोड़ बेरानवे लाख रुपये) का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम का मदवार विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रुपये में) :-

क्र०	मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	वित्तीय लक्ष्य
	DEMONSTRATION				
1	धान की सीधी बुआई का प्रत्यक्षण	एकड़	29598	2500 रुपये प्रति एकड़	739.95
2	गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण	एकड़	78648.5	1920 रुपये प्रति एकड़	1510.05
	ASSET BUILDING:				
3	पैडी ड्रम सीडर	संख्या	1500	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1500 रुपये प्रति इकाई	22.50
4	जीरो टिलेज	संख्या	3000	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये प्रति इकाई	450.00
5	पैडी ट्रांस्प्लांटर	संख्या	200	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रुपये प्रति इकाई	150.00
6	पम्प सेट (डीजल / इलेक्ट्रीक) Up to 10 HP	संख्या	16005	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 रुपये प्रति इकाई	1600.50
7	स्प्रेयर / प्लांट पोटेक्शन इक्यूपमेंट (मैनुअल)	संख्या	54000	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 600 रुपये प्रति इकाई	324.00
8	पावर वीडर	संख्या	500	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये प्रति इकाई	75.00
9	पैडी थ्रेसर (power opt. 6')	संख्या	600	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम	240.00

	drum size)			40000 रूपये प्रति इकाई	
10	मल्टी-क्रॉप थ्रेसर	संख्या	400	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40000 रूपये प्रति इकाई	160.00
	SITE SPECIFIC NEED				
11	फार्म पॉन्ड	संख्या	2349	लागत का 50 प्रतिशत (61050 रु० प्रति इकाई)	1434.00
12	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (WHS)	संख्या	1214	लागत का 50 प्रतिशत (130650 रु० प्रति इकाई)	1586.00
	कुल				8292.00

3. उपरोक्त योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं—

- **धान की सीधी बुआई** :— धान की सीधी बुआई जीरो टिलेज / सीड ड्रील मशीन से करना, श्रमाभाव एवं सिंचाई जल के अभाव की स्थिति में अधिक उत्पादन हेतु एक प्रभावकारी विकल्प है। जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने के पूर्व खेत को 15–20 दिन पहले समतल करना होगा। जिस खेत में बुआई करना है उसे निश्चित रूप से सिंचाई करना होगा, ताकि नमी बनी रहें। बुआई से 7–10 दिन पूर्व पूरे खेत में पैन्डीमेथिलीन / बिस्पाइरीवैक सोडियम का छिड़काव संपूर्ण खरपतवार के नाश हेतु करना होगा। धान की सीधी बुआई हेतु कृषकों को अधिकतम सहायतानुदान 2094.00 रु० एवं वैज्ञानिकों का क्षेत्र भ्रमण / प्रशिक्षक का मानदेय / प्रशिक्षण सामग्री / पम्पलेट / आकस्मिकता हेतु 406.00 रु० कुल 2500.00 रु० प्रति एकड़ दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश आर०के०वी०वाई० कोषांग से निर्गत होगा।
 - **गेहूँ का श्री विधि प्रत्यक्षण** :— राज्य में गेहूँ के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने में श्री विधि से गेहूँ की खेती का उपयोग काफी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। इस विधि से गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में काफी वृद्धि की जा सकती है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण हेतु 78648.5 एकड़ में प्रत्यक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री विधि गेहूँ प्रत्यक्षण हेतु 1600 रु० प्रति एकड़ एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में क्षेत्र दिवस, प्रचार–प्रसार सामग्री तथा वैज्ञानिक / पदाधिकारी के भ्रमण मद में 320 रु० प्रति एकड़ कुल 1920 रु० प्रति एकड़ अनुदान दिया जायेगा। श्री विधि गेहूँ प्रत्यक्षण छोटे–छोटे रकवा के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए श्री विधि गेहूँ प्रत्यक्षण को केवल सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए ही सीमित रखा जायेगा। प्रत्यक्षण का रकवा न्यूनतम 0.25 एकड़ तक रखा जायेगा। चयनित किसानों की सूची उपादान वितरण से एक सप्ताह पूर्व पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शित कर दिया जायेगा। साथ ही कृषि विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया जायेगा। जो भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं उसे इन कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं किया जायेगा। उक्त के आलोक में किसानों के चयन की पूरी जवाबदेही किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक की होगी। भूमिहीन जोतदार कृषक को भी इन कार्यक्रम का लाभ दिया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु आरक्षित प्रतिशत का शत–प्रतिशत उपलब्धि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसके लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे। लक्ष्य से अधिक माँग होने पर इन्हें चयन में प्राथमिकता दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक मजदूर को भी शामिल किया जायेगा। कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिये चयनित कृषकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्हीं किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिन्हें इस कार्यक्रम के लिये चयन किया गया है। इस संबंध में विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश आर०के०वी०वाई० कोषांग से निर्गत होगा।
 - **परिसंपत्ति निर्माण (Asset Building)** :- परिसंपत्ति निर्माण हेतु कृषि यंत्र यथा पैडी ड्रम सीडर, जीरो टिलेज, पैडी ट्रांस्प्लांटर, पम्प सेट (डीजल / इलेक्ट्रीक) 10 हॉर्स पॉवर तक स्प्रेयर / प्लांट प्रोटेक्शन इक्यूप्रमेंट (मैनुअल), पावर वीडर, पैडी थ्रेसर (power opt. 6' drum size) एवं मल्टी–क्रॉप थ्रेसर किसानों को अनुदान पर दिया जायेगा। कृषि यंत्र पर अनुदान का भुगतान किसान मेला लगाकर किया जायेगा। मेला में अधिक से अधिक यंत्र निर्माताओं / डीलरों को आमंत्रित किया जायेगा। किसानों को विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। स्वीकृति पत्र के आधार पर किसान अपनी पसंद से किसी भी निर्माता / डीलर से यंत्र खरीद सकते हैं। मेला में ही भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन के पश्चात अनुदान की राशि भुगतान किया जायेगा। खरीद के दो माह बाद तथा छ: माह के अन्दर प्रत्येक किसान के घर जाकर कृषि यंत्र का सत्यापन किया जायेगा। किसी प्रकार की अनियमितता होने पर संबंधित पदाधिकारी तथा किसान के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। मेला में कृषि यंत्र की गुणवत्ता तथा मूल्य पर ध्यान दिया जायेगा। ताकि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इस संबंध में विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश कृषि यांत्रिकरण कोषांग से निर्गत होगा।

- **स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता (Site Specific Need) :-** स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता के तहत मुख्य रूप से तालाब एवं जल संचयन संरचना का निर्माण कराया जायेगा। $66' \times 66' \times 10'$ आकार के प्रति तालाब (बंड पर पौधारोपण के साथ) के निर्माण पर 1,22,100.00 रु० एवं $110' \times 100' \times 8'$ आकार के प्रति जल संचयन संरचना (पौधारोपण के साथ) के निर्माण पर 2,61,300.00 रु० कुल लागत / व्यय निर्धारित है। कुल लागत का 50 प्रतिशत तालाब (बंड पर पौधारोपण के साथ) के निर्माण हेतु 61,050.00 रु० एवं जल संचयन संरचना (पौधारोपण के साथ) के निर्माण हेतु 1,30,650.00 रु० अनुदान के रूप में किसानों को दिया जायेगा। किसान को अनुदान भुगतान 2 स्तर पर किया जायेगा :— (क) कम से कम 50 प्रतिशत खुदाई के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का प्रथन किस्त कुल अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। (ख) निर्धारित आकार के अनुरूप तालाब की खुदाई, बांध पर पौधारोपण, ग्रास टर्फिंग का कार्य, बांध की नई मिट्टी में कटाव आदि की मरम्मति एवं सूचना पट आदि लगाने का काय पूर्ण कर लेने के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा तालाब का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तालाब का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। तालाब निर्माण का कार्य मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्ण होने की स्थिति में सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/अभियंता द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का अन्तिम किस्त कुल अनुदान का 50 प्रतिशत राशि भुगतान की अनुशंसा की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश भूमि संरक्षण निदेशालय से निर्गत होगा।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्द्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

5. भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति उप योजना के लिए निर्धारित मार्ग दर्शिका तथा कृषि विभाग द्वारा हरित क्रांति उप योजना के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक राज्य योजना है, जिसमें केन्द्रीय सहायता के रूप में शत प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के पत्रांक 6-1 / 2014-एन.एफ.एस.एम. दिनांक 19.02.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए 151.00 करोड़ रु० उद्द्यय कर्णाकित किया गया है। उक्त उद्द्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 1-4 / 2014-आर०के०भी०वाई० दिनांक 29.08.2014 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना में प्रथम किस्त के रूप में 75.50 करोड़ रु० राशि विमुक्त की गई है। विमुक्ति के पूर्व राज्यादेश संख्या 2501, 2502, 2503 दिनांक 12.06.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ महाभियान के तहत 5300.00 लाख रूपये (तीरपन करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। योजना के ससमय कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना के लिए भारत सरकार से द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट उपबंध के अधीन राशि की निकासी तथा व्यय किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि 82.92 लाख रुपये (बेरासी लाख बेरानवे हजार रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-मांग सं-0-1 उपशीर्ष-0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेओवी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-P2401007960231 विषय शीर्ष- 31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 5.8916 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत हरित क्रांति उप योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-४२ पर की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा धान की सीधी बुआई एवं गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, आर०क०बी०बाई० के परामर्श, परिसंपत्ति निर्माण (Asset Building) के तहत कृषि यंत्रों का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण के परामर्श तथा स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता (Site Specific Need) के तहत तालाब एवं जल संचयन संरचना का कृषि निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श के अनुसार संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण


(आत्मा) / कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। धान की सीधी बुआई एवं गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी / वरीय प्रभारी / प्रभारी पंदाधिकारी, आर०को०वी०वाई०, परिसंपत्ति निर्माण (Asset Building) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण एवं स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता (Site Specific Need) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी / भूमि संरक्षण पदाधिकारी / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना जिम्मेवार होंगे। बामेती / आत्मा / जिला कृषि पदाधिकारी / जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी / कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार वर्ग अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 21.05.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 14.10.2014 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या—रा०कृ०वि०यो०को०—०३ / 2014 के पृ०सं०— 35 / टि. पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—रा०कृ०वि०यो०को०—०३ / 2014 के पृ०सं०— 38 / टि. पर दिनांक—22-10-2014 को प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 (निश्वनाथ चौधरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
 निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक — 5136

/कृ०, पटना दिनांक २०-११- 2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
 निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5136

/कृ०, पटना, दिनांक २०-११- , 2014


प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
 निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5136

/कृ०, पटना, दिनांक २०-११- , 2014



प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
 निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
 कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5136

/कृ०, पटना, दिनांक २०-११- , 2014

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर / कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान

 ,  (मीठे जैसे)

आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी, मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शाष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० नैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

(४५५) ११.१४

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5136

/कृ०, पटना, दिनांक २०-११-२०१४

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110011 / कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली-110001/डा० बी० बी० पान्डा, वरीय वैज्ञानिक (एग्रेनॉमी), फसल उत्पादन डिवीजन, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), कटक (उडीसा) 753006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(४५५) ११.१४

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)—सह—
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

प्रताब

सं